सूचना का अधिकार–प्रस्तावना

(निदेशक की कलम से)

भारत विश्व की लोक तान्त्रिक व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं से अपनी अलौकिक छवि को बिखेरता हुआ सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है, जहां वर्षो से नागरिकों को उनके अधिकारों से सशक्त कर, लोकतन्त्र के वास्तविक मूल्यों को वैश्विक पटल पर स्थापित किया जाता रहा है। सुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को लागू कर प्रभावी रूप से कियान्वयन में लाया गया, जिसका उद्देश्य लोकतन्त्र के प्रति सकारात्मकता भाव जागृत करना है। लोक सूचना अधिकार के अध्याय–2 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मैनुअल का प्रतिपादन कर अद्यावधिक रखे जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 01 से 17 बिन्दुओं की सूचनाओं का संग्रहण एवं संकलन कर अद्यावधिक अभिलेखों को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून राज्य सरकार की एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से राजस्व के मुख्य स्त्रोत के साथ–साथ स्थानीय क्षेत्रो में रोजगार के सृजन में रचनात्मक भूमिका निभाता है, जिसके अन्तर्गत भूगर्भीय एवं भू–सतही अध्ययन एवं परीक्षण के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर आर्थिक रूप से लाभदायक खनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर अन्वेषण के उपरान्त आधुनिक तकनीकी से खनिजों का तय मानको के आधार पर विदोहन कर राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध कर अहम भूमिका निभाता है। खनिजों के अन्वेषण के उपरान्त खनिजों की गुणवत्ता के सत्यापन एवं अनुमापन में आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित रसायन प्रयोगशाला अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। वर्तमान में मुख्यालय स्थापित रसायन प्रयोगशाला भारत सरकार की स्वायत्त संस्था Quality Council of India के अधीन NABL द्वारा जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि के नमूनों के विश्लेषण के लिये प्रमाणित है।

इस सूचना मैनुअल का उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के संगठन, उद्देश्यों, कार्यो कार्य प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं, प्रकियाओं, सुविधाओं, सेवाओं एवं वित्तीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में अधिकतम सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को इस संगठन के अस्तित्व और योगदान के सम्बन्ध में आंकलन कर इसकी गतिविधियों में सहभागी बनकर योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार इस सूचना मैनुअल का उद्देश्य यहां के नागरिकों को अधिष्ठान में विद्यमान तकनीकी सम्पदा एवं मानव शक्ति की सेवाओ एवं सुविधा का बेहतर लाभ देने के लिये प्रतिबद्ध है।

इस सूचना मैनुअल में कुल 17 मैनुअल सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत विभागीय कियाकलापों एवं उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

सूचना मैनुअल में दी गयी सूचना का बडा भाग इस निदेशालय की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है और इस दृष्टि से यह आधारभूत रूप से यह परम्परागत जानकारी के अलावा सृजनात्मक भी है।

विशिष्ट संगठन होने के कारण सूचना मैनुअल में सामान्य प्रशासनिक, तकनीकी व कार्यालय सम्बन्धी शब्दावली व भाषा का प्रयोग किया गया है तथापि यह भी प्रयास किया गया है कि मैनुअल में प्रयोग की जाने वाली भाषा सरल, समझने योग्य तथा उपयोगकर्ता के लिये सहज हो, किन्तु आवश्यकता पडने पर तकनीकी भाषा का इकाई कार्यालय से सहज अनुवाद/व्याख्या प्राप्त किया जा सकता है।

सूचना मैनुअल में समायोजित विषयों एवं अन्य जानकारी के लिये निदेशालय में सूचना अधिकार अधिनियम अनुभाग, कार्यालय के अधिकारियों एवं सम्बन्धित पटलों पर कार्य करने वाले कार्मिकों से संपर्क किया जा सकता है। इस सूचना मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं का संग्रहण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में कार्यालय के सूचना अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य तथा कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भू–संरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत है। प्रत्येक राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं भण्डार के आंकलन के विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाऐं प्रायः घटित होती रहती है, जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उपरोक्त समस्या के निवारण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा विशिष्ट भू–अभियांत्रिकीय का कार्य सम्पन्न किये जाने का अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन भी किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते है, जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वालम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उपखनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार है, जिनके वैज्ञानिक विदोहन अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यो के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्यांकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है, जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तराखण्ड राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आंकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे–भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माण कार्यो में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग के कार्यो का दायित्व

- खनिज अन्वेषण कार्य
- खनन प्रशासन
- भूअभियांत्रिकीय कार्य

खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते है तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते है। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों मे आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के भाग–2 में दी गयी राज्य की प्रविष्टि संख्या–23 में संघ सूची में दिये गये संघ के अधिकारों के नियंत्रण में खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है। चूंकि खनिज, भूमि की सतह अथवा भूगर्भ में होते है और भूमि के सतही अधिकार राज्य सरकारों मे निहित होते है। इस कारण खनिजों पर रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों को निरपेक्ष से प्राप्त है। खानों के विनियमन और खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957"के प्राविधानों के अन्तर्गत, खनिजों के परिहार प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है तथा निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर, स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता हैं।

खनिज सेक्टर से सम्बन्धित समस्त कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये जाते है, जिसमे सभी खनिजों के खनिज परिहार को स्वीकृत किये जाने से पूर्व विभाग से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जाता है तथा चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले उपखनिजों की खनन योजना का अनुमोदन भी प्रदान किया जाता है।

भू–अभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रेदश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे–भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादित में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उनहें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्व के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तग्रत आता है। अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय की स्थापना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 2584/औ0वि0/147–ख/2001 दिनांक 03.12.2001, शासनादेश संख्या 2439/VII-I/2011/147–ख/2001 दिनांक 22.12.2011 एंव शासनादेश संख्या 1617/VII-A-1/2021–147–ख/2001टी0सी0–2 दिनांक 17.09.2021 के द्वारा विभागीय ढांचा स्वीकृत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	स्वीकृत पदों की संख्या
01	महानिदेशक (आई0ए0एस0 संवर्ग)	–	–	–
02	निदेशक	144200–218200 (लेबल–15)	10000	01
03	अपर निदेशक	123100–215900(लेबल–13)	8700	01
04	संयुक्त निदेशक (भूविज्ञान)	78800–209200 (लेबल–12)	7600	01
05	संयुक्त निदेशक खनन/मुख्य खान अधिकारी	78800–209200 (लेबल–12)	7600	02
06	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	67700–208700 (लेबल–11)	6600	06
07	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	67700–208700 (लेबल–11)	6600	03
08	रसायनज्ञ	67700–208700 (लेबल–11)	6600	01
09	सहायक भूवैज्ञानिक	56100–177500 (लेबल–10)	5400	12
10	सहायक रसायनज्ञ	56100–177500 (लेबल–10)	5400	02
11	सहायक भू–भौतिकीविद	56100–177500(लेबल–10)	5400	01
12	भू–रसायनज्ञ	56100–177500(लेबल–10)	5400	01
13	अधिकारी सर्वेक्षक	56100–177500(लेबल–10)	5400	01
14	खान अधिकारी	56100–177500(लेबल–10)	5400	06
15	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 (लेबल–10)	5400	01
16	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600–151100 (लेबल–08)	4800	02
17	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400 (लेबल–07)	4600	02
18	वरिष्ठ मानचित्रकार	44900–142400 (लेबल–07)	4600	01
19	खान निरीक्षक	35400–112400 (लेबल–06)	4200	12
20	वेधक	35400–112400 (लेबल–06)	4200	02
21	लाइब्रेरियन/पुस्तकालयाध्यक्ष	35400–112400 (लेबल–06)	4200	01
22	मानचित्रकार	35400–112400 (लेबल–06)	4200	03
23	प्रधान सहायक	35400–112400 (लेबल–06)	4200	04
24	प्राविधिक सहायक भूविज्ञान	35400–112400 (लेबल–06)	4200	02
25	प्राविधिक सहायक फोटो जियोलोजी	35400–112400 (लेबल–06)	4200	01
26	प्राविधिक सहायक रसायन	35400–112400 (लेबल–06)	4200	02
27	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी	35400–112400 (लेबल–06)	4200	01
28	सर्वेक्षक	29200–92300 (लेबल–05)	2800	08
29	वरिष्ठ सहायक	29200–92300 (लेबल–05)	2800	06
30	आशुलिपिक	29200–92300 (लेबल–05)	2800	03
31	रोकडिया	25500–81100 (लेबल–04)	2400	01
32	खनिज अंकिक	25500–81100 (लेबल–04)	2400	01
33	वेधन सहायक	21700–69100 (लेबल–03)	2000	04
34	खनिज मोहर्रिर	21700–69100 (लेबल–03)	2000	24
35	कनिष्ट सहायक	21700–69100 (लेबल–03)	2000	06
36	लेखा लिपिक	21700–69100 (लेबल–03)	2000	01
37	सहायक भण्डारी	21700–69100 (लेबल–03)	2000	01
38	चालक	21700–69100 (लेबल–03)	2000	09
39	मैकेनिक	21700–69100 (लेबल–03)	1900	04
40	वेधन आपरेटर/ड्रिल ऑपरेटर	21700–69100 (लेबल–03)	1900	06
41	जैक हैमर ड्रिलर	21700–69100 (लेबल–03)	1900	01
42	सैक्शन कटर	18000–56900 (लेबल–01)	1800	01

43	चपरासी	18000–56900 (लेबल–01)	1800	16
44	चैनमेन	18000–56900 (लेबल–01)	1800	06
45	फिल्ड परिचर	18000–56900 (लेबल–01)	1800	06
46	चौकीदार	18000–56900 (लेबल–01)	1800	06
47	प्रयोगशाला परिचर	18000–56900 (लेबल–01)	1800	02
	योग			184

मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियंत्रिकीय कार्यों की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजों के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माइनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त संदर्भों का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से संबंधित कार्यों को नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यों का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन संबंधित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन संबंधी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से संपर्क करके उन्हें खनन प्रशासन कार्यों की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यों के संबंध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।
- वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।